न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—154 / 2018 / 223 (2018 / 00154)

1. नाहरा दत्तक पुत्र धन्ना, जाति जाट, निवासी कासीर, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र लादू,
2. श्रीमती विमला पत्नि भवानीलाल,
3. श्रीमती रामकन्या पत्नि प्रहलाद,
4. गणेशी पुत्री धन्ना, जाति जाट,
   समस्त जाति जाट, निवासी कासीर, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती कमला पत्नि रामधन, जाति जाट, नि0 मुण्डोती, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।
7. पटवारी हल्का कासीर, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
8. रामसिंह पुत्र लादू,
9. हजारी पुत्र चन्द्रा,
10. लादी बेवा भूरा,
11. प्रधान पुत्र भूरा,
12. राजी बेवा बन्ना,
13. हगामी पत्नि हजारी,
    समस्त जाति जाट, निवासी कासीर, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 11.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 24 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4, 10 व 11.
3. रेस्पो0 संख्या 5, 8, 9, 12 व 13 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 / वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 92 व 209

राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 13 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 30 नया 29 पुराना के खसरा नंबर 253 रकबा 1–8–0, खसरा नंबर 255 रकबा 4–8–0, खसरा नंबर 257 रकबा 5–19–0, खसरा नंबर 495 रकबा 1–5–00, खसरा नंबर 496 रकबा 11–2–00, खसरा नंबर 727 रकबा 5–0–0, खसरा नंबर 851 रकबा 53–11–00, 852 रकबा 1–3–00, खसरा नंबर 853 रकबा 0–2–00 एवं खसरा नंबर 854 रकबा 0–10–00 बीघा भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 13 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । राजस्व रिकार्ड में गोपाल, नाहरा, रामसिंह पिता लादू, हजारी भूरा पिता चन्द्रा 23/35 हिस्सा, राजी बेवा बन्ना, कानी पुत्री बन्ना, हगामी पत्नि हजारी हिस्सा 1/7 बहिस्सा बराबर व 4/5 गणेशी पुत्र धन्ना कौम जाट 1/5 हिस्सा साकिन देह दज्र है व नामांतकरण संख्या 616 दिनांक 5.4.2012 से विरासत से भूरा पुत्र चन्द्रा के वारिसान मु0 लादी बेवा भूरा, प्रहलाद, प्रधान पुत्रान भूरा खातेदार दर्ज है व उपरोक्त खातेदारान के मध्य आज दिनांक तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है व प्रतिवादिया संख्या 13 गणेशी पुत्री धन्ना द्वारा उपरोक्त आराजी मुतनाजा में से कुछ आराजी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को दिनांक 22.6.2016 को बेचान कर दी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अजनबी क्रेता है । इसलिये कानूनन बिना बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजी में जबरन प्रवेश करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 नाजायज प्रयास कर रहे है इसलिये उनको रोका जाकर उपरोक्त आराजी मुतनाजा का बंटवारा किया जाकर वादी को अपना हिस्सा दिलाये जाने बाबत् यह वाद पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1/वादी का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त प्रकरण में वादी राजस्व कैम्प में उपस्थित नहीं हुआ था एवं न ही उसका अभिभाषक उपस्थित हुआ था । ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में वादी की अनुपस्थिति में वाद को डिक्री नहीं किया जा सकता था। राजस्व कैम्प में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनो पक्षकार सहमत हो जबकि उपरोक्त प्रकरण में न तो वादी स्वंय हाजिर हुआ और न ही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को छोड़कर शेष अन्य पक्षकार कैम्प में उपस्थित नहीं हुए थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वादी साक्ष्य में नियत था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना साक्ष्य लिये एकतरफा तौर पर मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट को वाद के नाटिस तामील नहीं करवाये गये थे न ही अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर ही प्रदान किया गया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 13 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में क्रमशः तीन वाद प्रस्तुत कर रखे है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी बाबत्

अपीलांट द्वारा भी एक राजस्व वाद वास्ते खातेदारी उद्घोषणा का उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अपीलांट के हक, अधिकारों का विनिश्चयन होना शेष है । इन सब तथ्यों को नजरअदांज कर अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजरअदांज किया कि विवादित आराजी बाबत् मान0 राजस्व मण्डल के द्वारा भी दिनांक 2.3.2017 को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किया हुआ है जो आज दिनांक प्रभावी है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । विवादित आराजी बाबत् रेस्पो0 संख्या 13 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 को विक्रय अवैध विक्रय के आधार पर स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 ने अपने नाम नामांतकरण तस्दीक करवा लिया जिसके विरूद्ध भी अपीलांट द्वारा तीन अपील मान0 संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 19.4.2017 को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बाबत् यथास्थिति के आदेश प्रदान किये हुए है । चूंकि अपीलांट को वाद की सूचना नहीं होने से वह उपरोक्त समस्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जावे कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4 एवं 10 व 11 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 13 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात होकर अविभाजित है । इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 13 ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में दिनाक 22.6.2016 को पृथक–पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दी है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अजनबी क्रेता है जिन्हें कानूनन विधिक बंटवारा के विवादित आराजियात में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है । तथाकथित विक्रय पत्र की आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । वादी विवादित आराजियात का संयुक्त खातेदार काश्तकार होकर काबिज है जो अपनी आराजियात का विधिक बंटवारा कराने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर वादी का वाद डिक्री कर अजनबी क्रेतागण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष गोपाल पुत्र लादू जाट वादी द्वारा कुल 13 प्रतिवादीगण क्रमशः श्रीमती विमला, श्रीमती रामकन्या, श्रीमती कमला, राजस्थान सरकार, पटवारी हल्का, श्री रामसिंह, हजारी, लादी, प्रधान, राजी, हगामी, नाहरा व गणेशी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 92–ए व 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलाधीन भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 13 गणेशी पुत्री धन्ना द्वारा अपना 1/5 हिस्सा बताकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्रीमती विमला, रामकन्या व कमला के पक्ष में दिनांक 22.6.2016 को पृथक–पृथक पंजीकृत विक्रय अभिलेख से भूमि स्थानातंरित कर दी है तथा क्रेता पारिवारिक सदस्य नहीं है, अजनबी

क्रेतागण है और बिना विभाजन कराये अपीलाधीन भूमि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, भूमि संयुक्त सहिस्सेदारी की है जिसका बंटवारा आज दिवस तक नही हुआ है। इस कारण अपीलाधीन भूमि के संबंध में बंटवारे का अनुतोष व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष के संबंध में वाद प्रस्तुत किया । पत्रावली दिनांक 3.4.2018 की आदेशिका के अनुसार शहादत वादी हेतु नियत थी व आगामी पेशी दिनांक 30.4.2018 रखी गयी एवं दिनांक 30.4.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व कैम्प में राजीनामा हेतु दिनांक 1.6.2018 नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 1.6.2018 को वाद पत्रावली अटल सेवा केन्द्र काशीर में पेश हुई परन्तु अटल सेवा केन्द्र में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 8, 9 ही उपस्थित हुए । शेष प्रतिवादीगण न तो अटल सेवा केन्द्र में उपस्थित हुए एवं न ही उनके द्वारा कोई सहमति दी जाकर राजीनामा ही पेश किया गया है । विधिनुसार राजीनामा वाद के सभी पक्षकारा के मध्य होकर तस्दीक होना चाहिये तत्पश्चात् ही न्यायालय संतुष्टि के उपरांत निर्णय पारित करती है । हस्तगत प्रकरण में सभी पक्षकारान के मध्य ऐसा कोई राजीनामा होकर तस्दीक हुआ हो पत्रावली के अवलोकन से जाहिर नहीं होता है । बिना सभी पक्षकारान की सहमति के अधी0न्याया0 द्वारा राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा बिना पक्षकारान की शहादत लिये, बिना दस्तावेजात को प्रदर्शित किये प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.6.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पक्करण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.12.06 17:54:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: